न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस

अपील संख्याः 45/19 निर्णय दिनांकः– 18-09-25
(जीसीएमएस नम्बर 2019/00058)

1. सुरजाराम पुत्र खेमाराम जाति जाट निवासी संसारदेसर हाल 5 आरजेडी तहसील छतरगढ़ जिला बीकानेर।

–अपीलांट्स

–बनाम–

1. संतलाल पुत्र चान्दमल जाति पुरोहित निवासी बीकानेर। (फौत)
1/1 श्यामसुन्दर पुत्र स्व. सन्तलाल जाति ब्रहाण निवासी बीकानेर।
1/2 केदारनाथ पुत्र स्व. सन्तलाल जाति ब्रहाण निवासी बीकानेर।
1/3 सीताराम पुत्र स्व. सन्तलाल जाति ब्रहाण निवासी बीकानेर।
1/4 सीतादेवी पुत्री स्व. सन्तलाल जाति ब्रहाण निवासी बीकानेर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार छतरगढ़।

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 14–07–2017
उपखण्ड़ अधिकारी, छतरगढ़

उपस्थितः–
1. श्री राजेश बैद, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री सत्यनारायण तिवाडी, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1
3. श्री मिलाप चन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

अपील संख्याः 04/19 निर्णय दिनांकः– 18-09-25
(जीसीएमएस नम्बर 2019/00167)

1. संतलाल पुत्र चान्दमल जाति पुरोहित निवासी बीकानेर। (फौत)
1/1 श्यामसुन्दर पुत्र स्व. सन्तलाल जाति ब्रहाण निवासी बीकानेर।
1/2 केदारनाथ पुत्र स्व. सन्तलाल जाति ब्रहाण निवासी बीकानेर।
1/3 सीताराम पुत्र स्व. सन्तलाल जाति ब्रहाण निवासी बीकानेर।
1/4 सीतादेवी पुत्री स्व. सन्तलाल जाति ब्रहाण निवासी बीकानेर।

–अपीलांट्स

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

–बनाम–

1. सुरजाराम पुत्र खेमाराम जाति जाट निवासी संसारदेसर हाल 5 आरजेडी तहसील छतरगढ़ जिला बीकानेर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार छतरगढ़।

–रेस्पोडेन्ट्स

अपीलें विरुद्व निर्णय दिनांक 27–11–2018
उपखण्ड अधिकारी, छतरगढ़

उपस्थितः–

1. श्री सत्यनारायण तिवाड़ी, अभिभाषक अपीलाट
2. श्री राजेश बैद, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1
3. श्री मिलाप चन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट्स ने अपील संख्या 45/2019 उपखण्ड अधिकारी, छतरगढ़ के निर्णय दिनांक 14–07–2017 जिसके द्वारा अपीलांट सुरजाराम का स्मॉलपेच आवंटन बिना सुनवाई का अवसर दिये इकतरफा तौर पर निरस्त किया गया के विरूद्ध इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है। व अपील संख्या 04/2019 उपखण्ड़ अधिकारी, छतरगढ़ के निर्णय दिनांक 27–11–2018 जिसके द्वारा विधि विरूद्ध तरीके से रेस्पोडेन्ट सुरजाराम को खातेदारी अधिकारी प्रदान किये गये। के विरूद्ध इस न्यायालय में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

2. दोनों अपीलों में निर्धारण हेतु बिन्दु एवं पक्षकार एकसमान होने के कारण दोनों अपील पत्रावलियों का निस्तारण एकसमान निर्णय से किया जा रहा है। निर्णय की एक–एक प्रति दोनों अपील पत्रावलियों में रखी जावे।

3. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

4. अभिभाषक अपीलांट श्री राजेश बैद ने अपील के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किये कि वादगत भूमि चक 5 आरजेडी का मुरब्बा नं.

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

197/36 के किला नं. 16 में 0.09, किला नं. 24 में 0.14 एवं किला नं. 25 में 0.10 बीघा कुल 1.13 बीघा कमाण्ड भूमि अपीलांट को विधिवत् रूप से दिनांक 11.01.2017 को स्मालपेंच में आवंटित की गई थी जिसकी तमाम किश्तें अदा की जा चुकी है तथा अपीलांट को सभी शर्तें पूर्ण होने पर दिनांक 27.11.2018 को खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिये गये जिसका अंकन राजस्व रिकोर्ड में हो चुका है तथा मौके पर अपीलांट काबिज होकर काश्त कर रहा है। रेस्पोडेन्ट सं. 1 को वादगत भूमि से चिपती भूमि चक 5 आरजेडी के ही मुरब्बा नं. 197/16 की 14 ता 25 तादादी 12 बीघा भूमि पुख्ता आवंटन हुई थी। उक्त भूमि के मध्य से नहर निकल गई जिस कारण रेस्पोडेन्ट सं. 1 के नाम से किला नं. 14 में 19 बिस्वा, किला नं. 15 में 12 बिस्वा, किला नं. 18 में 5 बिस्वा, किला नं. 19 में 13 बिस्वा, किला नं. 20 में 19 बिस्वा, किला नं. 24 में 1 बिस्वा, किला नं. 25 में 10 बिस्वा कुल 3 बीघा 19 बिस्वा कमाण्ड भूमि शेष रही जिसकी समस्त किश्तें अदा करने पर रेस्पोडेन्ट सं. 1 को खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिये गये अर्थात् आवंटन से शेष रही भूमि नहर के लिये अवाप्त कर ली गई जिसे रेस्पोडेन्ट ने स्वीकार करते हुए आवंटन राशि को कम कराकर खातेदारी अधिकारी प्राप्त कर लिये तथा उक्त भूमि दिनांक 20.06.2000 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र अपीलान्ट को विक्रय कर दी। तत्पश्चात् नहर का निर्माण हुआ तथा नहर के निर्माण के बाद शेष रही वादगत भूमि अराजीराज दर्ज कर दी गई। रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समस्त एक नियमित घोषणात्मक वाद सन् 2014 में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया तथा वादगत भूमि को गलत रूप से अपनी पुख्ता आवंटित भूमि बताकर घोषणा चाही। उक्त वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्व वाद संख्या 57/2014 अनुवानी सन्तलाल बनाम सरकार दर्ज किया गया जिसमें साक्ष्य वादी हेतु नियमित दिनांक 07.09.2016 अन्तिम रूप से नियत की गई। तत्पश्चात् उक्त पत्रावली में आज दिनांक तक किसी प्रकार की कोई कार्यवाही निर्णय, आदेश आदि नहीं हुआ जिससे स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 के द्वारा प्रस्तुत निर्णय दिनांक 19.08.2016 (जिसकी छायाप्रति अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुई) कभी रेस्पोडेन्ट सं. 1 की पत्रावली में हुआ ही नहीं तथा उक्त आदेश को आज दिनांक तक राजस्व रिकोर्ड में अंकन किये जाने हेतु तहसील कार्यालय में कभी प्रस्तुत ही नहीं किया गया जिससे स्पष्ट है कि उक्त निर्णय पूर्णतया: फर्जी व कूटरचित दस्तावेज है यदि निर्णय सही होता तो रेस्पोडेन्ट सं. 1 इतने लम्बे अन्तराल तक उसे छिपाये नहीं रखता तथा तुरन्त ही कार्यवाही करता, जिसे बदनियति से तथा नाजायज लाभ प्राप्त

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

करने की नियत से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर आदेश जैर अपील प्राप्त किया है।

रेस्पोडेन्ट सं. 1 को यदि उसकी भूमिहीन कृषक के रूप में पात्रता के अनुसार भूमि प्राप्त नहीं हुई तो वह कमी पूर्ति मे अन्य भूमि प्राप्त करने का अधिकारी था लेकिन किसी भी रूप में अवाप्त शूदा भूमि जिसकी किमत का समायोजन किया जाकर आवंटन से कम राशि जमा कराई हो वहां उस अवाप्त हुई भूमि को रेस्पोडेन्ट सं. 1 अपनी पूख्ता आवंटित भूमि के रूप में ना तो प्राप्त करने का अधिकारी था, ना ही इस आशय की घोषणा ही की जा सकती थी। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण बिन्दू पर गौर किये बिना तथा उनके समक्ष प्रस्तुत तथाकथित निर्णय दिनांक 19.08.2016 की छायाप्रति का सत्यापन किये बिना आदेश जैर अपील किया है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस आदेश दिनांक 19–08–2016 के आधार पर अपीलांट का स्मॉलपेच आवंटन निरस्त किया है वह आदेश ही कूटरचित है। प्रकरण संख्या 24/14 बअनवानी संतलाल बनाम सरकार में ऐसा कोई आदेश पारित ही नही किया गया था। अतः अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

मियांद के संबंध में अभिभाषक अपीलांट्स ने कथन किया कि दिनांक 18.02.2019 को प्रार्थी/अपीलांट किसी कार्यवंश पटवारी हल्का के पास गया तथा अपने खाते के सम्बन्ध में जानकारी चाही तो आदेश जैर अपील के बारे में बताया। इस पर प्रार्थी/अपीलांट ने तुरन्त ही दिनांक 19.02.2019 को आदेश जैर अपील की नकल प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। बाद तैयारी नकल उसी दिन दे दी गई। तब आदेश जैर अपील की प्रार्थी/अपीलांट को सर्वप्रथम जानकारी प्राप्त हुई। जानकारी प्राप्त होते ही विधिक राय लेकर अपील हेतु अन्य आवश्यक दस्तावेजात एकत्रित कर यथासंभव शीघ्र अपील प्रस्तुत की जा रही है जो जानकारी के दिन से अन्दर मियाद प्रस्तुत है। अन्दर मियाद प्रस्तुत किये जाने के तथ्य को दृष्टिगत् रखते हुए अपीलांट्स की अपीलें अन्दर मियांद शुमार की जावे।

अभिभाषक अपीलांट (अपील संख्या 04/2019) ने मियाद के बिन्दू पर कथन किया कि आदेश जैर अपील क्षेत्राधिकार के बाहर पारित किया गया होने से शुन्य है एवं आदेश जैर अपील अपीलान्ट के पीठ पीछे पारित किया गया होने से अपीलान्ट को आदेश जैर अपील के बारे में कोई जानकारी नही रही। दिनांक 28.05.2019 को अपीलान्ट अपने

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

पक्ष में हुवे निर्णय दिनांक 19.08.2016 व दिनांक 14.07.2017 की पालना करवाने के लिए तहसील कार्यालय मे गया तो वहाँ रेस्पोडेन्ट संख्या 1 मिला, अपीलान्ट ने संबधित बाबु से आराजी जैर अपील के अंकन के लिए निवेदन किया तो रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने कहा कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने आराजी जैर अपील की खातेदारी प्राप्त कर ली है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के खिलाफ हुवे आदेश दिनाक 14.07.2017 की अपील बीकानेर न्यायालय में प्रस्तुत कर दी है। इसलिए आराजी जैर अपील अपीलान्ट अपने नाम करवाने के सपने नही देखे। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वार कहे गये कथनो की सत्यता के लिए अपीलान्ट ने उपखण्ड अधिकारी छतरगढ़ में जानकारी ली तो ज्ञात हुवा कि आराजी जैर अपील को रेस्पोडेन्ट संख्या के नाम खातेदारी प्रदान कर दि गई है तब अपीलान्ट ने आदेश जैर अपी की नकल के लिए दिनांक 29.05.2019 को आवेदन किया जो दिनां 04.06.2019 को प्राप्त हुई तब अपीलान्ट को सर्वप्रथम आदेश जैर अपील जानकारी हुई। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

5. अभिभाषक रेस्पोडेन्ट श्री सत्यनारायण तिवाड़ी ने जवाब बहस में कथन किये कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 19–08–2016 जब तक खारिज नही हो जाता तब तक अपीलांट को प्रश्नगत भूमि स्मॉलपेच में आवंटित नही की जा सकती। आदेश दिनांक 19–08–2016 के द्वारा रेस्पोडेन्ट को प्रश्नगत भूमि का पुख्ता आवंटन किया जा चुका था। अतः यह भूमि स्मॉलपेच आवंटन हेतु उपलब्ध नही थी। अंतः अपीलांट को इसका आवंटन नही किया जा सकता ना ही खातेदारी दी जा सकती थी। खातेदारी के विरूद्ध भी रेस्पोडेन्ट द्वारा अपील पेश की गई है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

6. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 14–07–2017 के विरूद्ध अपील दिनांक 27–11–2018 व अपीलाधीन आदेश दिनांक 27–02–2019 के विरूद्ध अपील दिनांक 20–06–2019 पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में रेस्पोडेन्ट द्वारा कोई काउन्टर शपथ पत्र प्रस्तुत नही किया गया है। मियाद पर न्यायालय का अभिमत है कि जहॉ प्रकरण में देरी अत्यधिक नही हुई है तथा वहॉ प्रकरण का

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना श्रेयस्कर है। अतः अपीलांट की अपीले अन्दर मियाद घोषित की जाती है।

प्रकरण में जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है, प्रकरण में चक 5 आरजेडी का मुरब्बा नम्बर 197/36 के किला नम्बर 16 (.09 बीघा) किला नम्बर 24 (0.14 बीघा), तथा किला नम्बर 25 (0.10 बीघा) कुल 1.13 बीघा भूमि अपीलांट सुरजाराम को दिनांक 11–01–2017 को स्मॉलपेच में आवंटित की गई। जिसकी खातेदारी दिनांक 27–11–2018 को जारी की गई। जिसका अंकन राजस्व रिकॉर्ड में किया जा चुका है।

अपीलाधीन आदेश दिनांक 14–07–2017 द्वारा अपीलांट सुरजाराम का स्मॉलपेच आवंटन दिनांक 11–01–2017 को खारिज कर दिया गया। खारिज करने का आधार यह लिया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व वाद संख्या 24/2014 अनवानी संतलाल बनाम सरकार में निर्णय दिनांक 19–08–2016 द्वारा सुरजाराम को आवंटित प्रश्नगत भूमि का पुख्ता आवंटन रेस्पोडेन्ट संतलाल को किया जा चुका था। इसलिए वरवक्त आवंटन यह भूमि आवंटन हेतु उपलब्ध ही नही थी।

अपीलांट की अपील का मुख्य आधार यह है कि निर्णय दिनांक 19–08–2016 जिसके आधार पर उसका आवंटन खारिज किया गया वह कूटरचित व फर्जी है।

प्रकरण में यह स्वीकृत बिन्दू है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 19–08–2016 समस्त विवाद का मूल बिन्दू है। न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 24/14 अनवानी संतलाल बनाम सरकार में निर्णय दिनांक 19–08–2016 पारित किया गया था जिसके द्वारा रेस्पोडेन्ट संतलाल को प्रश्नगत भूमि का पुख्ता आवंटन किया गया था अथवा नही?

अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली प्रकरण संख्या 24/14 अनवानी संतलाल बनाम सरकार तलब की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने पत्रांक 366 दिनांक 21–05–2025 द्वारा यह अवगत करवाया गया कि दायरा रजिस्टर दायरा नम्बर 24/14 पर संतलाल बनाम सरकार अनवान की पत्रावली दर्ज नही है। बउनवान संतलाल बनाम सरकार पत्रावली दायरा रजिस्टर अनुसार 51/2014 पर दर्ज है तथा दिनांक 26–02–2020 को फेसल है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अधीनस्थ न्यायालय की रिपोर्ट से स्पष्टतः प्रकट होता है कि विवादित निर्णय दिनांक 19–08–2016 जिस प्रकरण (24/2014) में जारी किया जाना अभिकथित है, दायरा रजिस्टर में इस प्रकरण संख्या पर यह प्रकरण दर्ज ही नही है।

अधीनस्थ न्यायालय से प्रकरण संख्या 51/2014 बअनवान संतलाल बनाम सरकार की मूल पत्रावली तलब की गई।

प्रकरण में यदि यह उपधारणा की जावे कि त्रुटिवंश निर्णय में प्रकरण संख्या गलत दर्ज हो गया हो और प्रकरण बअनवानी संतलाल बनाम सरकार की प्रकरण संख्या 51/2014 है तो भी इस प्रकरण में निर्णय दिनांक 26–02–2020 को पारित हुआ है। जिसके तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया गया है।

पत्रावली पर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 19–08–2016 की छायाप्रति मात्र है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 19–08–2016 की **प्रमाणित प्रति के बिना** ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय की टिप्पणी और प्रकरण बअनवानी संतलाल बनाम सरकार की मूल फाईल के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण संख्या 24/2014 तथा प्रकरण संख्या 51/2014 में दिनांक 19–08–2016 को कोई निर्णय पारित ही नही किया गया।

इस सूरत में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 19–08–2016 के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित कर अपीलांट सुरजाराम के स्मॉलपेच आवंटन को खारिज करने में विधिक त्रुटि कारित की है जो कि पुष्टि योग्य नही है। अपीलांट सुरजाराम को प्रश्नगत भूमि की खातेदारी दिनांक 27–11–2018 को मिल चुकी है। खातेदारी के विरूद्ध संतलाल द्वारा प्रस्तुत अपील का आधार भी निर्णय दिनांक 19–08–2016 को ही बनाया गया है जबकि पत्रावली में इस निर्णय की प्रमाणित प्रति उपलब्ध ही नही है और ना ही उपलब्ध दस्तावेजो से प्रकरण मे यह निर्णय पारित किया जाना असंदिग्ध रूप से साबित हो पाया है।

7. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील संख्या 45/2019 बअनवानी सुरजाराम बनाम संतलाल स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छतरगढ़ का अपीलाधीन आदेश दिनांक 14–07–2017 निरस्त किया जाता है। साथ ही अपील संख्या 04/2019 बअनवानी संतलाल बनाम सुरजाराम खारिज की जाकर अधीनस्थ

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छतरगढ़ का अपीलाधीन आदेश दिनांक 27–11–2018 यथावत बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय आज दिनांक 18-09-25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर